प्रकाशन हेतु अनुमोदित

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर

दाण्डिक अपील 61/93

अपीलार्थी : अभियुक्त (जेल में) : फूलचंद्र उम्र लगभग 22 वर्ष पुत्र सुन्दर खैरवार निवासी ग्राम तिहारीटोला-बेलझिरिया थाना मनेरही जिला बिलासपुर म.प्र.

बनाम

प्रत्यर्थी : मध्य प्रदेश राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अतंर्गत दाण्डिक अपील,1973

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

दाण्डिक अपील संख्या 61/1993

फूलचंद

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय हेतु विचारार्थ

सही /-

दिलीप रावसाहेब देशमुख न्यायाधीश

16.08.2004

सही /-

वी.के. श्रीवास्तव न्यायाधीश

मै सहमत हूँ.

सही /-

न्यायाधीश श्री वी. के. श्रीवास्तव

निर्णय हेतु दिनांक 23.08.2005 के लिए सुची बद्ध करें ।

सही /-

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

दाण्डिक अपील संख्या 61/1993

फूलचंद

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

....

कोरमः माननीय न्यायाधीश श्री वी.के. श्रीवास्तव एवं माननीय न्यायाधीश

श्री दिलीप राव साहेब देशमुख

....

अपीलार्थी श्री अरूण कोचर अधिवक्ता।

राज्य कि ओर से श्री जे. डी. बाजपेयी लोक अभियोजक/अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता सहित

श्री रविंद्र अग्रवाल पैनल अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

....

निर्णय

दिनाँक 23.7.2004 को उद्घोषित

<u>द्वारा दिलीप राव साहब देशमुख, न्यायाधीश :-</u>

यह अपील श्री एम. सी. जैन चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिलासपुर (म.प्र.) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 418/991 में दिनाँक 7 जनवरी 1993 को पारित निर्णय के विरूध्द है जिसके तहत अपीलार्थी को भूदा की हत्या करने के लिए धारा 323 भा.द.वि. के तहत तथा सहदेव और श्याम सुन्दर को स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए धारा 323 भा.द.वि. के तहत दोषसिद्ध करते हुए धारा 302 भा.द.वि के तहत आजीवन कारावास और धारा 323 भा.द.वि के तहत तीन महीने के सश्रम कारावास से दण्डीत किया गया था।

02. अभियोजन पक्ष की संक्षिप्त कहानी यह है कि दिनांक 29.5.1991 को दोपहर करीब 3 बजे जब कुन्नी लाल अभियोजन साक्षी 3 अपने भाई अभियोजन साक्षी 2 सहदेव के घर पर बैठा

था तो अपीलार्थी ने आपसी विवाद के चलते वहां जाकर कुन्नीलाल को थप्पड़ मार दिया। सहदेव अभियोजन साक्षी 2 ने अभियुक्त-अपीलार्थी से हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि वह कुन्नीलाल को न पीटे। जिस पर अपीलार्थी ने सहदेव अभियोजन साक्षी 2 के बाएं गाल पर निचली पलक के पास लाठी से प्रहार कर दिया। सहदेव अभियोजन साक्षी 2 बेहोश हो गया। यह देख भूदा दौड़कर आया और सहदेव अभियोजन साक्षी 2 को उठा रहा था तभी अपीलार्थी लाठी लेकर दोबारा वहां आया और भूदा के सिर पर दो बार प्रहार कर दिया। सिर में चोंट लगने से भूदा की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद अपीलार्थी भाग गया। भूदा की पत्नी केशर बाई अभियोजन साक्षी 5 और पड़ोसी श्याम सुंदर अभियोजन साक्षी 4 ने पूरी घटना देखी। अपीलार्थी ने श्याम सुंदर पर भी लाठी चलाई जिससे उसे मामूली चोट आई। अपीलार्थी केशरबाई अभियोजन साक्षी 5 की तरफ भी दौड़ा लेकिन वह भाग गई, और अपने चाचा अलखराम को घटना कि जानकारी दी जिन्होने थाना मरवाही में एक प्रथम सुचना प्रतिवेदन प्र. पी. 1 दर्ज कराई / उपनिरिक्षक एस.के सिंह द्वारा प्र. पी 3 के मृत्यु समीक्षा तैयार कि गई उन्होंने प्र. पी 5 के जरिए घटना स्थल से खुन सनी मिट्टी और सादी मिट्टी जप्त की गई और दिनांक 30.05.1991 को प्र. पी. 6 के तहत अपीलार्थी की बाड़ी से एक तरफ से जली हुई 3 फीट लंबाई का एक लकड़ी का टुकड़ा जप्त किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

03. दिनांक **30.05.1991** को डॉ. रमेश सिंह कछवाहा अभियोजन साक्षी 10 द्वारा मृतक भुदा का शव परीक्षण किया गया, जिन्होने प्र. पी. 8 के अनुसार पाया कि चेहरा खून से सना हुआ था। खोपड़ी के बांए ललाट पाश्र्विक क्षेत्र पर 12 सेमी. परिधि की एक फैली हुई सूजन थी जिसके नीचे की त्वचा लाल और नीचे रंग की थीं बांए पाश्र्विक का हड्डी के पीछे के हिस्से पर 5''×3''. सेरेब्रल कार्टेक्स स्तर पर एक और कटा हुआ घाव मौजुद था। विच्छेद करने पर उन्होने पाया कि बांए पाश्र्विक हड्डी के आगे की तरफ फ्रैक्चर है और ललाट हड्डी के बाई तरफ फ्रैक्चर है साथ ही पीछे की तरफ बांए पाश्र्विक हड्डी में दरार नुमा फ्रैक्चर है जिसके माध्यम से सेरेब्रल कार्टेक्स देखा जा सकता था। सेरेब्रल कार्टेक्स के ललाट आर पाश्र्विक भाग में घाव और एक्स्ट्राड्यू रक्त स्राव भी देखा गया। डॉ. कछवाहा अभियोजन साक्षी 10 ने कहा कि मृत्यु कोमा के कारण हुई जो कि बांए पाश्र्विक हड्डी और खोपड़ी की ललाट की हड्डी के दबे हुए फ्रैक्चर और दरार नुमा फ्रैक्चर के कारण बढ़े हुए इंट्रा-केनियल तनाव के कारण ब्रेन स्टेम संपीड़न के परिणाम स्वरूप हुई और एक कठोर और तेज हथियार से हमले के कारण सिर में लगी चोट के कारण एक्स्ट्रा ड्यूरल रक्त स्राव हुआ।

04. डॉ. आर डी. गुप्ता अभियोजन साक्षी 9 जिन्होने दिनांक 30.05.1991 को सहदेव की जांच की थी ने प्र.पी. 9/अ. के जरिए निचली पलक के ठीक नीचे 2 से.मी. × 1 से.मी. का एक चोट का निशान और तर्जनी उंगली के पामर पहलू के दाहिने मेटा-कार्पो फैलिंग्स के आधार पर 1 से. मी. × 5.से.मी. का एक कटा हुआ घाव पाया। ये दोनो चोटें प्रकृति में साधारण थी जैसा कि डॉ. आर. डी. गुप्ता ने अपनी रिर्पोट प्र. पी.9/अ. मे बताया था उन्होने दिनांक 30.05.91 को कुन्नीलाल अभियोजन साक्षी 3 की भी जांच की और प्र. पी. 10/अ के जरिये रिर्पोर्ट दी कि कोई बाहरी चोट नही देखीं गई हालाकि उन्होने केवल बांए कान पर दर्द की शिकायत की थी। श्याम सुंदर प्र.पी. 4 की भी उन्होने दिनांक 30.05.1991 को जांच की और एक कटा हुआ 1 से.मी. ×1/2 से.मी. घाव त्वचा स्तर पर चोट पाई गई लेकिन उनकी प्रकाशित प्र. पी. 11/अ. में चोट के स्थान का उल्लेख नही किया गया था।

05. अन्वेषण पूरी होने के बाद अपीलार्थी पर धारा 302 और 323 भा.द.वि. के तहत अपराध के लिए अभियोजन चलाया गया। अपीलार्थी ने अपराध अस्वीकार किया तथा श्याम सुंदर अभियोजन साक्षी 4 के साथ विवाद के कारण उसे झुठा फसाये जाने का अभिषाक् किया लेकिन बचाव मे कोई सबूत पेश नही किया। अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहो का परिक्षण कराया है। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने कुन्नीलाल अभियोजन साक्षी 3 सहदेव अभियोजन साक्षी 2, अभियोजन साक्षी 5 केशर बाई अभियोजन साक्षी 4 श्याम सुंदर के अभिसाक्ष्य पर भरोसा करते हुये और डॉ.रमेश सिंह कछवाहा अभियोजन साक्षी 10 और डॉ. आर. डी. गुप्ता अभियोजन साक्षी 9 के चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को धारा 302 और 323 भा.द.वि. के तहत दोषसिद्ध करते हूए उपरोक्त अनुसार दंडित किया । उन्होने बचाव पक्ष के इस तर्क को अमान्य कर दिया कि अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध भा.द.वि. के धारा 304 भाग दो से ज्यादा का नहीं है इस आधार पर कि अपीलार्थी ने भूदा पर बार-बार प्रहार किया जबकी लाठी से पहला वार लगने के बाद ही वह गिर गया था।

06. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि चिकित्सीय साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के बीच गंभीर विरोधाभास है। श्यामसुंदर अभियोजन साक्षी 4 और केशरबाई अभियोजन साक्षी 5 ने अपीलार्थी द्वारा लाठी से प्रहार करने की बात कही है जबकि डॉ रमेश सिंह कछवाहा अभियोजन साक्षी 10 ने बांए पाश्र्विक हड्डी पर सेरेब्रस स्तर पर 5 सेमी.× 3 सेमी. का एक कटा हुआ घाव पाया था और अपनी प्रतिवेदन प्र. पी. 17 के साथ- साथ अपनी अभिसाक्ष्य के कंडिका 8 में कहा था कि यह चोट चिकनी साफ कटी हुई थी और इसके किनारे धारदार थे

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कि यह चोट चिकनी साफ कटी हुई थी और इसके किनारे धारदार थे और यह ब्लेड जैसे किसी तेज हथियार से हो सकती थी। इसलीए बचाव पक्ष कि विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रत्यक्षदर्शी गवाहो की गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता । उन्होनें *रवि कुमार बनाम पंजाब राज्य* **2005 सी.आर.एल.जे 1742** और *राजस्थान राज्य बनाम भंवर सिंह* **4 (2004) सी सी आर 8 (एस सी)** का अवलंब लिया। वैकल्पिक रूप से विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि कुन्नी लाल अभियोजन साक्षी 3 और केशर बाई अभियोजन साक्षी 5 के अनुसार अपीलार्थी ने कुन्नीलाल को केवल थप्पड़ मारा था। कुन्नीलाल अभियोजन साक्षी 3 और श्याम सुंदर अभियोजन साक्षी 4 ने भी अपीलार्थी द्वारा सहदेव पर लाठी से प्रहार करने की बात नहीं कही। श्याम सुंदर अभियोजन साक्षी 4 ने भी कहा था कि अपीलार्थी ने सहदेव पर लाठी से प्रहार किया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने वह वस्तु नही देखी जिससे अपील कर्ता ने सहदेव पर प्रहार किया था। इस प्रकार घटना शुरू होने पर अपील कर्ता का भूदा की हत्या करने का आशय नहीं था और उसने अचानक आवेश में आकर उस पर प्रहार किया था इसलिए यदि अपीलार्थी द्वारा कोई अपराध किया गया था तो वह भरतीय दंड सहिंता की धारा 304 भाग दो से ज्यादा का अपराध नहीं है । यह भी तर्क दिया गया कि अपीलार्थी 31 मई 1991 से जेल में है और दिनांक 16.1.2001 तक कारावास की सजा काट चुका था यानी साढे नौ साल से अधिक समय तक पहले से हि काटी गई हिरासत की सजा न्याय के उद्देश्यों को पुरा करेगा । विद्वान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने *मध्यप्रदेश राज्य बनाम झाडू और अन्य* **1991 एस सी सी (सी आर आई) 716** में प्रकाशित किए गए मामले का अवलंब लिया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

07. दूसरी ओर विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय के निर्णय के समर्थन में दृढता से तर्क दिया और कहा कि अपीलार्थी द्वारा भुदा के नाजुक अंग पर बार बार चोट पहुंचाना स्पष्ट रूप से जान बुझकर किया गया कार्य था और यह साबित करता है, कि अपीलार्थी का आशय भूदा का हत्या करना था। इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि धारा 302 भा.द.वि के तहत अपीलार्थी का दण्ड यथोचित था।

08. हमने परस्पर विरोधी तर्को पर विचार किया है और अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख को भी देखा। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षीयों कि विश्लेषण करने पर हम पाते है कि यह साक्ष्य से स्पष्ट रूप से साबित होता है कि अपिलार्थी फूलचंद ने भूदा की मृत्यु कारित किया, मृतक कि विधवा केशर बाई आभियोजन साक्षी 5 ने अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना तब शुरू हुई जब अपिलार्थी को थप्पड़ मारा और इसके बाद सहदेव पर डंडे से प्रहार कर दिया जिससे

वह बेहोश हो गया यह देख कर उसका पति भूदा अपने पिता सहदेव को उठाने के लिए दौड़ा। इस बीच अपिलार्थी जो सहदेव पर प्रहार करने के बाद कुन्नीलाल के घर गया था लाठी लेकर लौटा और जब सहदेव भूदा को उठा रहा था तब उसने लाठी से भूदा के सिर पर एक वार किया जिससे भूदा गिर गया । अपिलार्थी ने भूदा पर दो और लाठीयाँ मारी तो जमीन पर गिर गया था। इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण की कंडिका 5 में अपीलार्थी ने बचाव लिया है उसकी एक छोटी सी बीडी की दुकान है और कभी कभी वह रात में दुकान पर सोता था और अपिलार्थी ने भूदा से शिकायत की थी कि जब वह मौजूद नहीं रहता तो वह उसकी पत्नी से क्यों मिलने गया था। हालांकि इस साक्षी ने उपरोक्त आरोपों से इनकार किया है फिर भी ऐसे प्रतीत होता है कि यह अपिलार्थी की झुंझलाहट का मूल कारण हो सकता है। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य से कोई अन्य हेतुक सामने नहीं आया है।

09. श्याम सुंदर अभियोजन साक्षी 4 ने केशरबाई अभियोजन साक्षी 5 की गवाही की पुष्टी की है। इस गवाह ने अपने घर की बाड़ी से घटना देखी थी । प्रतिपरीक्षण में उसने साफ तौर पर इस बात से इनकार किया है कि घटना की जगह उस के घर की *बाडी* से दिखाई नहीं देती। उसने बयान दिया है कि जब वह अपने घर के पीछे था तो उसने चीखें सुनीं और देखा कि अपिलार्थी ने सहदेव पर प्रहार किया था जिस पर वह जमीन में गिर गया था। अपिलार्थी भाग गया और इसी समय जब भूदा दौड़ कर आया और अपने पिता सहदेव को उठा रहा था तो अपिलार्थी ने भूदा के सिर पर एक लाठी मारी जिससे वह निचे गिर गया । इसके बाद अपिलार्थी ने भूदा को और लाठियाँ मारी । इस गवाह के अनुसार अपीलार्थी ने उस पर भी लाठी चलाई थी जिससे उसके बाएं हाथ पर भी चोट आई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. कुन्नी लाल अभियोजन साक्षी 3 ने केशर बाई अभियोजन साक्षी 5 और श्याम सुंदर अभियोजन साक्षी 4 के अभिसाक्ष्य की पुष्टी की है जो अपिलार्थी द्वारा उस पर और सहदेव पर किए गए हमले से संबंधीत है। उसके अनुसार अपीलार्थी खाली हाथ था और उसने उसे थप्पड़ मारा जिस पर वह रोने लगा । इसके बाद अपीलार्थी ने सहदेव को थप्पड़ मारा । इसके बाद वह भाग गया। सहदेव अभियोजन साक्षी 2 ने कहा है कि जब उसने कुन्नी लाल पर प्रहार किया तब अपील कर्ता खाली हाथ था और उसके प्रार्थना करने पर अपिलार्थी ने एक लकड़ी का टुकडा उठाया (हालांकि यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि उसे किस चीज़ से चोट लगी) और उसे बाएं गाल के ऊपर मारा जिससे वह बेहोश हो गया । होश मे आने के बाद उसने पाया कि उसका बेटा भूदा सिर पर चोट के साथ परछी में पड़ा था और उसकी मौत हो गई थी। सहदेव

अभियोजन साक्षी 2 और कुन्नी लाल आभियोजन साक्षी ने अभियुक्त अपीलार्थी को किसी ऐसे कृत्य में फंसाने का कोई प्रयास नहीं किया है जिसे उन्होंने नहीं देखा था और हमारी सुविचारित राय में उनकी निर्विवाद साक्ष्य विश्वसनीय है।

11. प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य की पुष्टी डॉ. आर. डी. गुप्ता अभियोजन साक्षी से भी होती है जिन्होंन प्र. पी 9/अ के माध्यम से सहदेव की बाईं आंख की पलक के पास एक चोट और दाईं तर्जनी पर एक कटा हुआ घाव पाया था। बाईं आंख की पलक के पास की चोट स्पष्ट रूप से वह चोट थी जिसके कारण सहदेव बेहोश हो गया था। उन्होंने श्याम सुंदर पर भी एक कटा हूआ घाव पाया। जहां तक मृतक भूदा को लगी चोट का सवाल है डॉ. रमेश सिंह कछवाहा अभियोजन साक्षी 10 की गवाही से पता चलता है कि भूदा को 5 सेमी. × 3 सेमी. × सेरेब्रल कार्टेक्स के स्तर पर चीरा हुआ घाव लगा था। इस गवाह के अनुसार बाएं पाश्र्विक क्षेत्र में एक कठोर और नुकीली वस्तु से चोट लगी थी। बाएं ललाट - पाश्र्विक का क्षेत्र में 12 सेमी के क्षेत्र में फैली हुई सूजन थी जिसके नीचे ललाट और पाश्र्विक का हड्डी का दबा हुआ फ्रैक्चर था। एक्सट्रा-ड्युरल रक्त स्त्राव भी देखा गया था और ललाट और पाश्र्विका प्रांतस्था का मस्तिष्कीय कटाव भी पाया गया था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि डॉ. कछवाहा ने अपनी गवाही के कंडिका 8 मे स्पष्ट रूप से कहा है कि भूदा को कारित की गई चोट किसी धार दार हथियार से हो सकती है और इसलिए चिकित्सीय साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य से भिन्न है जिस पर इसलिए भरोसा नहीं किया जा सकता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. हमने डॉ. कछवाहा अभियोजन साक्षी 10 के अभिसाक्ष्य को देखा और हम पाते है कि गवाह से इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नही मांगा गया कि क्या भूदा को कारित की गई चोट अपील कर्ता की बाड़ी से जब्त की गई लाठी से आ सकती है। अभिलेख पर मौजूद लगातार प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के मद्दे नजर कि अपीलार्थी ने भूदा पर बार-बार लाठी से प्रहार किया था जिसकी पुष्टी अलख राम द्वारा दर्ज की गई एफ.आई.आर. से भी होती है, ऐसा लगता है कि शव परीक्षण करने वाले डॉ. कछवाहा ने बांए पाश्र्विक का क्षेत्र पर फटा हआ है घाव को कटा हुआ घाव समझ लिया था। मोदी की न्यायशास्त्र और विष विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के 16 वें संस्करण के पृष्ठ 224 पर यह उल्लेख किया गया है कि " कभी-कभी किसी भोथरे हथियार या गिरने से त्वचा फट जाती है और हड्डियो को ढकने वाली तनाव पूर्ण संरचनाओं जैसे खोपड़ी, भौंह, श्रोणि शिखा, पिंडली आदि पर लगने पर कटे हुए घाव की तरह लग सकते हैं या घुटने या कोहनी पर गिरने से जब अंग मुड़ा हुआ हो।" सर्वोच्चन्यायालय ने *रविकुमार बनाम पंजाब राज्य* के मामले का भी

अवलंब लिया है जो। **2005 क्रि एल. जे. 1742** में प्रकाशित किया गया था । मोदी द्वारा अपने पुस्तक में जो कहा गया है उसके मद्दे नजर और इस तथ्य के मद्दे नजर कि प्रतिपरीक्षण के दौरान डॉ. कछवाहा से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया है कि चोट उस लाठी से नहीं आ सकती है जिसे प्र. पी. 6 के जरिए जप्त किया गया था, चिकित्सीय साक्ष्य के इस हिस्से के बीच असंगति हमारे विचार से सुसंगत प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य को दर किनार करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी जोकि ठोस और विश्वसनीय है। प्र. पी. 6 के जरिए अपीलार्थी से जप्त की गई लाठी बताई गई है वो एक तरफ से जली हुई थी और उस पर खुन जैसे धब्बे थे। इस प्रकार हमारे विचार से केशरबाई अभियोजन साक्षी 5, श्याम सुंदर अभियोजन साक्षी 4 कुन्नी लाल अभियोजन साक्षी 3 और सहदेव अभियोजन साक्षी 2 की गवाही सुसंगत प्रतिपरिक्षण की कसौटी पर खरा उतरा है और पूरी तरह से विश्वासनीय है। यह तथ्य कि अपीलार्थी ने भूदा पर लाठी से प्रहार किया था एफ.आई. आर. से भी पुष्टि होती है जिसे अलख राम अभियोजन साक्षी 1 ने घटना के तुरंत बाद दर्ज कराया था। इस प्रकार हमारी सुविचारित राय में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य संदेह से परे यह स्थापित करते है कि अपीलार्थी ने भूदा पर बार-बार लाठी से प्रहार कर के उसकी मृत्यु कारीत किया और अपीलार्थी ने स्वेच्छया से सहदेव और श्याम सुंदर को भी साधारण चोटे पहुंचाई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. हमारे विचार से लिए एकमात्र प्रश्न यह है कि अपीलार्थी ने क्या अपराध कारित किया था। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अपीलार्थी द्वारा भूदा की हत्या करने का कोई हेतुक साबित नहीं करते है जो कि घटना के समय मौजूद भी नहीं था। घटना की शुरूआत में अपीलार्थी खाली हाथ था और उसने कून्नी लाल को थप्पड. मारा था और सहदेव के हस्तक्षेप करने पर उसने शायद लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और सहदेव के बांए गाल के ऊपर से प्रहार किया जिससे सहदेव बेहोश हो गया। इसके बाद अपीलार्थी ने कुन्नी लाल या सहदेव पर कोई और प्रहार नही किया बल्कि भाग गया। जब भूदा सहदेव को जमीन से उठाने के लिए मौके पर आया तभी अपीलार्थी लाठी लेकर मौके पर आया और भूदा के सिर पर प्रहार कर दिया जिससे भूदा भी गिर गया। इसके बाद अपीलार्थी ने भूदा के सिर पर दो और लाठियां मारी और उसके बाद केशर बाई अभियोजन साक्षी 5 पर प्रहार करने के लिए दौड़ा जिसके बाद वह भाग गई अपीलार्थी ने श्याम सुंदर अभियोजन साक्षी 4 पर भी लाठी चलाई जिससे उसे मामूली चोट आई। इस प्रकार जिस तरह से पूरी घटना हुई उससे यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि अपीलार्थी का आशय भूदा की हत्या करने का था। जिस तरह से अपीलार्थी कुन्नीलाल, सहदेव, भूदा, केशर बाई, और श्याम सुंदर के प्रति अपनी नाराजगी दिखा रहा था। उससे साफ पता चलता है कि भावनाएं

इस हद तक भड़क चुकी थी कि अपीलार्थी अपने सामने आने वाले हर व्यक्ति पर प्रहार कर रहा था। श्याम सुंदर और सहदेव को सिर्फ मामूली चोटे आई थी। कुन्नीलाल अभियोजन साक्षी 3 को कोई बाहरी चोट नही थी जिसने केवल बाएं कान के पास दर्द की शिकायत की थी, जो शायद अपीलार्थी द्वारा थप्पड़ मारने के परिणाम स्वरूप हुआ था। इस प्रकार साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलार्थी ने भूदा पर अचानक आवेश में आकर प्रहार किया था। लेकिन उसकी जान लेने का कोई आशय नहीं था। हालांकि जिस तरह से अपीलार्थी ने भूदा के सिर पर बार-बार प्रहार किया और भूदा को लगी चोटों की प्रकृति इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपीलार्थी को जानकारी थी भूदा के सिर पर बार-बार प्रहार करने से उसकी मौत हो सकती है। *महेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य* **1996 10 एस सी सी 668,** मे प्राकशित के मामले में जहां मृतक द्वारा मवेशीयों को चराने पर आपत्ति जताने के बाद अचानक हुये झगड़े में अपीलार्थी ने मृतक के सिर पर फरसे से वार किया, ऐसा कोई संकेत नहीं था कि अपीलार्थी ने क्रुर या असामान्य तरीके से काम किया । यह माना गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की परिस्थितियों में माना कि धारा 300 का अपवाद 4 आकर्षित होता है और भा.द.वि. की 304 भाग - II भा.द.वि. के तहत दोष सिद्धि को बरकरार रखा गया और सजा को बढ़ाकर 6 साल का सश्रम करावास और 1000 रू. का जूर्माना कर दिया गया। *स्वरूप सिंह बनाम हरियाणा राज्य* में **ए.आई.आर.1995 एस.सी 2452** में प्रकाशित की गई, अपीलार्थी ने सिर पर हथौड़े से एक ही बार वार किया था और चिकित्सकीय साक्ष्य से पता चला कि मृतक की मौत दांये टेपोरल रेडीयेटल क्षेत्र की हड्डी के फ्रेक्चर के कारण हुई थी यह माना गया कि अपीलार्थी को इस बात का ज्ञान हो सकता है कि महत्वपुर्ण अंग पर चोट लगने से मौत होने की संभावना है लेकिन मौत कारित करने का कोई आशय नहीं था। एम.पी. राज्य बनाम झाडू और अन्य **1991 एच.सी.सी.(सी.आर.आई) 716,** में प्रकाशित की गई में अपीलार्थी द्वारा छाती जैसे महत्वपुर्ण अंग पर कई लाठी से वार किये गये थे जिसके परिणाम स्वरूप पसलीयों में फ्रेक्चर और फेफड़ों में चिरा लगने से मौत हो गयी थी। तथ्यों के आधार पर यह माना गया कि अभियुक्तों का हत्या करने का कोई आशय नहीं था लेकिन उन्हें इस बात का ज्ञान था कि मृत्यु होने की सम्भावना है। इसलिये दोषसिद्धि को धारा 304 भाग दो में परिवर्तित कर दिया गया और उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी 10 साल की सश्रम कारावास के दण्ड को बरकरार रखा गया। *रविकुमार बनाम पंजाब राज्य* **(क्रि.एल.जे. 1742, 2005)** में प्रकाशित की गयी कि एक अचानक झगड़े में अभियुक्त ने धांगु को उठा लिया और मृतक के सिर पर दो वार किये जो घातक साबित हुआ। मामले के तथ्यों और परिस्थियों के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आधार पर यह माना गया कि अभियुक्त ने अचानक लड़ाई में बिना सोंचे समझे काम किया था और इसलिये अभियुक्त को धारा 304 भाग दो के तहत दोषी ठहराया जाना चाहिये। सर्वोच्चन्यायालय ने माना की अभिरक्षा में बिताई जा चुकी आठ वर्ष की अवधी न्याय के उद्येश्यों को पूरा करेगी।

14. वर्तमान मामले के तथ्यो पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को लागू करते हुए हम पाते है कि जब अपीलार्थी ने कुन्नी लाल को थप्पड़ मारा था तब अचानक बिना किसी पूर्व-योजना के लड़ाई शुरू हुई थी इसके बाद सहदेव के हस्तक्षेप करने पर उसने सहदेव को मामूली चोट पहुंचाई। श्याम सुंदर को भी मामूली चोट लगी थी। इस प्रकार जारी लड़ाई मे अपीलार्थी का किसी की जान लेने का कोई आशय नहीं थी इसलिए जब भूदा सहदेव को उठाने आया और अपीलार्थी ने लाठी मारी उसके सिर पर वार किया और उसके बाद भूदा के गिर जाने पर दो और लाठियाँ मारी, तो धारा 302 भा.द.वि. के तहत अपराध स्थापित करने के लिए अपेक्षित आशय अपीलार्थी पर आरोपित नही किया जा सकता। धारा 300 भा.द.वि. के अपवाद को लागू करने के लिए यह स्थापित करना आवश्यक है कि यह कृत्य बिना किसी पूर्व-योजना के अचानक झगडे के बाद आवेश में अचानक लड़ाई में किया गया था अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए। आवेश की तीव्रता के लिए यह आवश्यक है कि आवेश को शांत होने का समय मिले और इस मामले में जिस प्रकार अपीलार्थी ने कुन्नी लाल सहदेव और श्याम सुन्दर पर प्रहार किया और उसके बाद भूदा पर प्रहार किया उससे पता चलता है कि आवेश को शांत होने का समय ही नही मिला। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि अपीलार्थी ने क्रूरता या असामान्य तरीके से काम किया था।

15. मामले के तथ्यात्मक पहलू पर विचार करते हुए हमारा विचार है कि भूदा की मृत्यु कारित करने में अपीलार्थी का कृत्य धारा 304 भाग दो से आगे नहीं जाता है। जहां तक धारा 323 भा.द.वि. के तहत अपराध के लिए अपीलार्थी की दोष सिद्धि और उसके तहत दी गई सजा का सवाल है वे अच्छी तरह से स्थापित हैं।

16. परिणामस्वरूप अपील आंशिक रूव से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को धारा 302 भा.द.वि. के तहत अपराध से दोषमुक्त किया जाता है और धारा 304 भाग दो भा.द.वि. के तहत दोषसिद्ध किया जाता है। अपीलार्थी 30 मई 1991 से 16 जनवरी 2001 तक हिरासत में था इस प्रकार साढ़े नौ साल से अधिक समय तक। हमारी राय में धारा 304 भाग-दो भा.द.वि. के तहत अपराध के लिए अभिरक्षा में पहले से ही काटी जा चुकि अवधी दण्डादेश के उद्येश्यों को

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पूरा करेगा। हम तदानुसार आदेश देते हैं। धारा 323 भा.द.वि. के तहत अपीलार्थी की दोष सिद्धि और उसके तहत दी गई दण्ड को बरकरार रखा जाता हैं।

सही/-
वी.के श्रीवास्तव
न्यायाधीश
23.08.2005

सही/-

दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश
23.08.2005

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by – Advocate Soniya sahu

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur